रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 22]
No. 77] DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/VAISAKHA 7, 1938 [N.C.T.D. No. 22]

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

फा.स. एफ.10(13)/पर्या0/2015/2878–2900.–पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 और 16.12.2015 के आदेशों का अनुपालन करते हुए, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/6167–6189 दिनाँक 20.10 2015, अधिसूचना संख्या एफ10(13)/पर्या/2015/6345–6372 दिनाँक 30.10.2015, अधिसूचना संख्या एफ 10(13) /पर्या/ 2015/7400–7422 दिनाँक 23.12.2015, संशोधित अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/98–130 दिनाँक 05.01.2016 एवं एफ 10(13)/पर्या/2015/436–458 दिनाँक 21.01.2016, अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/1049–1072 दिनाँक 15.02.2016 और अधिसूचना संख्या एफ 10 (13) /पर्या /2015/1610–1632 दिनाँक 04.03.2016 के अनुक्रम में तथा पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण की दिनाँक 10.03.2016 की बैठक के कार्यवृत्त, के निर्देशों के अनुसरण में निम्नलिखित निर्णय अधिसूचित किए जाते है:–

1. घटना के तुरन्त बाद पुलिस नियंत्रण कक्ष संख्या–100 पर टोल एकत्रकर्ता उल्लंघन करने वाले वाहन के गाड़ी संख्या को बताएगा, जो पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) लगाने वाले अधिसूचना का अनुपालन नहीं करता है।
2. संबंधित थाने में टोल एकत्रकर्ता एक प्राथमिकि दर्ज कराएगा और पुलिस जल्द से जल्द उस पर उचित कार्यवाही करेगी।
3. यदि कोई वाहन ई.सी.सी. के बिना भुगतान/गैर गंतव्य दिल्ली के/2006 से पूर्व के पंजीकृत पाया जाता है तो, उस समय, लागू पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार का दस गुना जुर्माना लगाया जाएगा। तीन बार से अधिक अनाधिकृत प्रवेश करने की अवस्था में वाहन को न्यूनतम एक माह की अवधि के लिए जब्त कर लिया जाएगा और वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया जाएगा।

कुलानंद जोशी, विशेष सचिव (पर्यावरण)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th April, 2016

No.F.10(13)/Env/2015/2878-2900.—In continuation of notification No. F10 (13)/Env/2015/6167-6189 dated 20.10.2015, notification no. F10 (13)/Env/2015/6345-6372 dated 30.10.2015, notification no. F10 (13)/Env/2015/7400-7422 dated 23.12.2015, amendment notification no. F10 (13)/Env/2015/98-130 dated 05.01.2016, notification no. F10 (13)/Env/2015/436-458 dated 21.01.2016, notification no. F10 (13)/ Env/2015/1049-1072 dated 15.02.2016 and notification no. F10 (13)/ Env/2015/1610-1632 dated 04.03.2016 issued by Department of Environment, Govt. of NCT of Delhi in compliance of the Hon'ble Supreme Court's orders dated 09.10.2015 and 16.12.2015 regarding Environment Compensation Charge (ECC) and in pursuance of directions of the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA) as per minutes of meeting held on 10.03.2016 the following decisions are hereby notified :

1. The toll collector shall flash the vehicle number of the violator, who do not comply with notifications on levy of Environment Compensation Charge, on Police Control Room No. 100 immediately after the incident.
2. The toll collector shall file a FIR at the concerned police station and the police shall take appropriate action at the earliest.
3. If a vehicle is caught either without paying ECC/ non-destined to Delhi/ pre-2006 registered, then a fine of 10 times of the applicable ECC shall be imposed. In case the offence of unauthorized entry is committed more than three times, the vehicle shall be impounded for a minimum period of 01 month and the Registration Certificate of the vehicle will be suspended.

KULANAND JOSHI, Spl. Secy. (Environment)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

सं0फा0 6/59/2002/डीआईएसएमएच/प्रशा0/1356—गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24.9.1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/78/68—डीएच (एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को अधिसूचित सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (भारतीय चिकित्सा पद्धति) नियमावली, 2012 के दिल्ली स्वास्थ्य सेवा नियमावली के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत आयुष निदेशालय में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (भारतीय चिकित्सा पद्धति) दिल्ली स्वास्थ्य सेवाएं नियमावली बनाते हैं :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** .— (1) इन नियमों को सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (भारतीय चिकित्सा पद्धति) दिल्ली स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2016 कहा जाए।।

(2) सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से यह लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं** :— जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन नियमों में —

(क) "आयोग" का अर्थ संघ लोक सेवा आयोग से है;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकरण" का अर्थ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है;

(ग) "विभागीय पदोन्नति समिति" का अर्थ सेवा के 'क' वर्ग के पदों की पदोन्नति या स्थायीकरण के मामलों पर विचार हेतु चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति से है;

(घ) "ड्यूटी पद" का अर्थ किसी उस पद से है जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट चाहे यह स्थाई या अस्थाई हो;

(ङ) "सरकार" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति एवं अनुच्छेद 239 कक के अन्तर्गत यथा पदनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है;

(च) "ग्रेड" का अर्थ प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रेडों में से किसी एक ग्रेड से है;

(छ) "अनुसूची" का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न किसी अनुसूची से है;

(ज) "सेवा" का अर्थ दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी भारतीय चिकित्सा से है।